तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्ब[र] अहकाम[...] की तामी[ल]
24.2	पत्रावली पेश हुई। बहस वकीलान सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली 15-3.2 को पेश हो। SDM	
15.3.2	पत्रावली पेश हुई। समय अभाव के कारण फैसला नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5.4.2 को पेश हो। SDM	
5.4.2	पत्रावली पेश हुई। अतः प्रार्थना-पत्र 212 RTA बाबत आराजी खसरा नम्बर 1309 वाके ग्राम सालवाड़ी बाबत साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० नि० किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया। SDM	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2 / 80 / 2019

वउनवान

1. दिनेशचन्द पुत्र गोविन्द शरण जाति स्वामी निवासी कुटटी तहसील कठूमर
2. कल्पना पुत्री गोविन्द शरण जाति स्वामी निवासी कुटटी तहसील कठूमर
3. राके ाकुमार पुत्र कैलाश चन्द जाति स्वामी निवासी कुटटी तहसील कठूमर
4. रिते ाकुमार पुत्र कैलाश चन्द जाति स्वामी निवासी कुटटी तहसील कठूमर
5. विजयलक्ष्मी पत्नी केलाश चन्द जाति स्वामी निवासी कुटटी तहसील कठूमर

------ सायलान

बनाम

1. राजेशकुमार पुत्र रामकिशोर जाति स्वामी निवासी कुटटी तहसील कठूमर

---- गैरसायल

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री सुभाशचन्द शर्मा : अधिवक्ता सायलान

श्री सतीशचन्द शर्मा : अधिवक्ता गैरसायल

आदेश

दिनांक 05.04.2021

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1309 रकवा 1.14 हे. ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायल संख्या 1 की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायलान एंव गैरसायल शामलात में काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है उक्त आराजी अवट है जिसका अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। सायलान विवादित आराजी में गैरसायल के साथ शामलात में काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल विवादित आराजी में सायलान के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है इस वजह से सायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है। विवादित आराजी शामलात खातेदारी में दर्ज रहने से गैरसायल सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है जवरन वेदखल करने तथा विना तकासमा कराये अजनवी केता को रहन वय करने की धमकी देता है। गैरसायल मना करने से नहीं मान रहा है यदि गैरसायल अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो सायलान को अपार हानि

असुविधा व क्षति होगी। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गेरसायल को दावा के निर्णय तक आराजी खसरा नम्बर 1309 वाके ग्राम सालवाडी में सायलान के हिस्सा के अनुसार कब्जे काश्त में बाधा पैदा नहीं करने अजनवी व्यक्ति को रहन वय नहीं करने हेतु पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल मय अधिवक्ता हाजिर अदालत आया। गैरसायल ने अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में अवश्य दर्ज है लेकिन आराजी मुतनाजा व अन्य आराजी का काफी अर्सा पूर्व बंटवारा हो गया था जिस घरू वंटवारा में उक्त आराजी गैरसायल के हक हिस्सा व कब्जे में आई थी। घरू वंटवारा में सायलान के हिस्सा में अन्य नम्बर आये थे। वंटवारा के अनुसार ही गैरसायल उक्त आराजी पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जिस आराजी को गैरसायल ने अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है। इस प्रकार विवादित आराजी अवट न होकर वंटी हुई है व गैरसायल को घरू वंटवारा से प्राप्त है। जव विवादित आराजी व अन्य आराजी का 30–40 साल पूर्व ही घरू में वंटवारा हो गया व विवादित आराजी गैरसायल के हक हिस्सा में आई इस वजह से विवादित आराजी का पुनः वंटवारे का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गैरसायल विवादित आराजी का सहखातेदार काश्तकार है इस वजह से गैरसायल को विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है। विवादित आराजी से सायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त आराजी में सायलान एंव गैरसायलान के अलावा अन्य साझीदार है जिनको सायलान ने पक्षकार नहीं बनाया है। सायलान एंव गैरसायल की विवादित आराजी के अलावा और आराजी भी है जिसको दावा व प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है उक्त आराजी पर सायलान का कबजा काश्त नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 वाके ग्राम सालवाडी की सत्य प्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्तागण की वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायल की शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है सायलान विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी का अलग से कानूनी तकासमा कराना चाहते है। गैरसायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने को तैयार नहीं है बल्कि सायलान के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है विना विभाजन कराये अजनवी व्यक्तियों को रहन वय करने की धमकी देता है। यदि गैरसायल ने विवादित आराजी को विना तकासमा कराये रहन वय कर दिया या सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की तो अपार हानि व नुकशान सायलान को होगा। इस वजह से गैरसायल को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते कथन किया कि विवादित आराजी अर्सा 30–40 साल पूर्व की वंटी हुई है। विवादित

आराजी अन्य आराजी के साथ हुये घरू वंटवारा में गैरसायल के हक हिस्सा व कब्जे में आई है वाद घरू वंटवारा से गैरसायल विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी से सायलान का किसी तरह का बास्ता नहीं है बल्कि गैरसायल की कब्जे की है। सायलान को घरू वंटवारा में अन्य आराजी मिली है जिस पर सायलान काविज रहकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी का अव पुनः वंटवारा कराने की आवश्यकता नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। प्रार्थना पत्र महज तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता सायलान व गैरसायल की वहस पर मनन किया। सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी वाके ग्राम सालवाडी में विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायल की शामलात खातेदारी में दर्ज है। कानूनन शामलात खातेदारी की आराजी में प्रत्येक हिस्सेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा होता है। विवादित आराजी वंटी है या अवट यह तो मूल वाद में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर तय किया जावेगा। वर्तमान में सायलान को गैरसायल से किस तरह से नुकशान व क्षति हो रही है यह गैरसायलान सावित नहीं कर पाये। शामलात खातेदारी की आराजी में खातेदार अपने हिस्सा की आराजी को रहन वय करने का पूरा अधिकार रखता है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है। अतः प्रार्थना पत्र वावत आराजी खसरा नम्बर 1309 वाके ग्राम सालवाडी वावत सावित ना होने के कारणा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

5.4.21

(अनिलकुमार सिंघल)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 05.04.2021 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिलकुमार सिंघल)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

5.4.21